कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–उनि/सशि/निशु/पापु/शाला दर्पण/2018–19/43–44 दिनांक–03.05.2019

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

विषय :– शैक्षिक सत्र 2019–20 में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के वितरण शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल के माध्यम से करने के क्रम में।

प्रसंग :– इस कार्यालय समसंख्यक पत्रांक – 40 दिनांक – 02.05.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का मॉड्यूल लाईव हो चुका है। शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त पीईईओ, के परिक्षेत्र में आने वाले राजकीय विद्यालयों को मैप कर दिया गया है। शैक्षिक सत्र 2019–20 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का मांग एवं वितरण संबंधी समस्त कार्य इस मॉड्यूल के माध्यम से प्रासंगिक पत्र में निर्धारित तिथियों के अनुसार ही किया जाना है। इस क्रम में अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. जिला स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रत्येक कार्य का प्रबोधन आप द्वारा किया जाना है।
2. पूर्व में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) कार्या.जि.शि.अ. मा. (मुख्यालय) को जिला प्रभारी मनोनीत किया गया था। लेकिन अब पीईईओ एवं शहरी आदर्श नोडल विद्यालयों पर उनके परिक्षेत्र मे आने वाले समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 01 से 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसके मद्दे नजर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) कार्या. जि.शि.अ. मा. (मुख्यालय) के स्थान पर आपके कार्यालय के सहायक निदेशक को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के लिए जिला नोडल प्रभारी के रूप में कार्य करेगें। जिला शिक्षा अधिकारी मा. (मुख्यालय), जिला शिक्षा अधिकारी प्रारं. (मुख्यालय) तथा समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगें।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मा. (मुख्यालय) को पूर्व में जारी की गई लॉगइन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर जिला स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग एवं वितरण से संबंधित आवश्यक कार्यो का निष्पादन करें।
4. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रथम चरण दिनांक 08.05.2019 से 07.06.2019 एवं द्वितीय चरण में दिनांक 10.06.2019 से 10.07.2019 तक किया जाएगा। अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा शिक्षा अधिकारी द्वितीय, जिला प्रबंधक, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के वितरण केन्द्र से अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर वितरण सुनिश्चित करवाएंगे। संबंधित नोडल के अधिकृत प्रतिनिधि स्टॉक रजिस्टर के साथ उपस्थित रहेंगे। नोडल विद्यालयों द्वारा पाठ्य पुस्तक मण्डल से प्राप्त पुस्तकों की स्टॉक इन्द्राज के उपरान्त नोडल अधिकारी चालान पर हस्ताक्षर (मय नाम एवं सील) कर एसबीईओ द्वितीय के माध्यम से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगें। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इन चालान पर प्रति हस्ताक्षर (मय नाम एवं सील) कर मुख्य जिला प्रबन्धक, पाठ्य पुस्तक वितरण केन्द्र को देगें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय जिला स्तर पर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा शिक्षा अधिकारी प्रथम, ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग शहरी आदर्श/पीईईओ के माध्यम से शाला दर्पण पर फीडिंग एवं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंच का प्रबोधन करेंगे।
6. 289 शहरी आदर्श नोडल विद्यालयों की अद्यतन सूची संलग्न की जा रही है। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करे की इन शहरी आदर्श नोडल विद्यालयों के परिक्षेत्र में आने वाले राजकीय विद्यालयों को तत्काल शाला दर्पण पर मैप करवाना सुनिश्चित करें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा पूर्व में इस कार्यालय को प्रेषित मांग के आधार पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मुद्रण बाबत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग प्रेषित की गई थी। तदनुसार ही मण्डल द्वारा जिलेवार आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। आपके कार्यालय के सहायक निदेशक जो कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के लिए जिला नोडल प्रभारी है, को निर्देशित करें कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग जिला FTB लॉगइन से एप्रूव करते समय यह ध्यान मे रखा जाए।
8. पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो लॉग इन से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नोडल वार फीड (प्रविष्ठि) करने के पश्चात ही नोडल विद्यालयों को वितरित की जाएगी। किसी भी स्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ऑफ लाईन नही किया जाए।

D:\Free Text Book 2019-20\letter.doc

Scanned by CamScanner

9. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के पत्र दिनांक 09.04.2019 के क्रम में स्थानीय प्रबन्धक पाठ्य पुस्तक मण्डल के वितरण केन्द्र से नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण में सहयोग के लिए यदि कार्मिकों की आवश्यकता जताई जाती है तो अधीनस्थ कार्यालय/विद्यालय से अधिकतम 05 कार्मिक (अध्यापक/लिपिक/सहायक कर्मचारी) उक्त वितरण अवधि हेतु कार्य व्यवस्थार्थ लगाए जा सकते हैं। इस कार्य के लिए लगाए अध्यापक/लिपिक को रू.125/- प्रति दिवस तथा सहायक कर्मचारी को रू.90/- प्रति दिवस का मानदेय मण्डल कोष से देय होगा।

प्रदत्त निर्देशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

(श्याम प्रकाश कविया)
आई.ए.एस.
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
5. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रबोधन बाबत।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक (मुख्यालय)।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक प्रबोधन बाबत।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक: संनि/स्कूशि/भरत/शै.प्र./19/310 दिनांक 4-5-19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
भरतपुर/धौलपुर/करौली
सवाई माधोपुर को मूल पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप उक्तवत निर्देशानुसार पत्र की पालना किया जाना सुनिश्चित कर स्थानीय कार्यालय को अवगत करावें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

04.5.19
संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा)
भरतपुर संभाग भरतपुर (राज०)

क्रमांक :- 100 दिनांक - 6/5/19

मूल पत्र DEO(S) एवं DEO(E) एवं समस्त CBEO म० मा० को देकर लेख है कि पत्र के अनुसार शीघ्र की पालना कराना सुनिश्चित करें। समस्त PS एवं UPS की मोनिटरिंग DEO(E) के द्वारा कराया जावे तथा 1 से 12 के समस्त मा० उ० मा० वि० की मोनिटरिंग DEO(S) के द्वारा किया जावे।

6/5/19
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

Scanned by CamScanner